

राजी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

क्रमांक/स्था/2022/2.2.16

जबलपुर, दिनांक 28/02/2022

आदेश

राजी दुर्गावती विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षण विभाग में वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए अध्यापन/प्रशिक्षणीय कार्य हेतु कार्यपरिपद दिनांक 22.02.2019 के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए विज्ञापन क्रमांक 1893, दिनांक 24.11.2022 के अनुसार प्राप्त पात्र आवेदकों के दिनांक 10 फरवरी, 2022 को शारीरिक शिक्षण विभाग में विभिन्न विषाओं में नियमानुसार आयोजित साक्षात्कार उपर्युक्त प्राप्त अनुशंसानुसार अतिथि विद्वानों को अध्यापन कार्य हेतु उल्लिखित शर्तों के अनुसार उनके विषयान्तर्गत निम्नानुसार आमंत्रित किया जाता है, यथा:-


क्रमांक	विभाग का नाम	आमंत्रित अतिथि विद्वानों का नाम
1.	शारीरिक शिक्षा (स्ववित्तीय मद)	1. डॉ. मनीष कुमार मिश्र 2. डॉ. अभिताम तिवारी 3. कृ. अंशु सादव 4. श्री अंतर्शिक्षा शर्मा 5. श्री सुशील कुमार शर्मा

1. आमंत्रित अतिथि विद्वान वि.वि. के शिक्षण विभागों में यू.जी.सी./ग.प्र. शारान की शर्तों का पालन करेंगे एवं प्रतिदिन यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित न्यूनतम लोड के आधार पर उरतने कालखण्ड लेने तथा निर्धारित पूर्ण कार्यवधि में उपस्थित रहने हेतु बाध्य होंगे। साथ ही विश्वविद्यालय कार्यपरिपद की बैठक दिनांक 22.02.2019 के निर्णयानुसार आमंत्रित अतिथि विद्वानों को प्रतिमाह निश्चित (Fixed) मानदेय रु. 30,000/- (तीस हजार मात्र) प्रदान किया जायेगा।
2. मानदेय का भुगतान विभाग में स्ववित्तीय मद से ही देय होगा।
3. आमंत्रित अतिथि विद्वान के अनुपस्थित होने पर प्रति दिवस रु. 1,200/- (एक हजार दो सौ रुपये) की दर से कटौती की जायेगी।
4. अतिथि विद्वान किसी भी हैरियत से स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे और वे लोक सेवा की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जायेंगे।
5. अतिथि विद्वान कार्य दिवस के पूर्ण कार्य अवधि तक उपस्थित रहेंगे एवं विभागीय कार्यों में सहयोग करेंगे।
6. आमंत्रित अतिथि विद्वान किसी अन्य शैक्षणिक/अकादमिक संस्था में पूर्णकालिक/अल्पकालिक रूप से कार्य नहीं कर सकेंगे। अतः इस आशय का शपथ पत्र अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा।
7. आमंत्रित अतिथि विद्वानों को अपनी मूल संस्था से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. आमंत्रित अतिथि विद्वान आवश्यकतानुसार/विभागाध्यक्ष के आदेशानुसार वि.वि. के अन्य विभागों में भी अपनी सेवाएं देंगे।
9. विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी समय नियमानुसार नियमित नियुक्ति हो जाने पर आमंत्रित अतिथि विद्वान तत्काल प्रभाव से स्वयंमेव कार्य मुक्त माने जायेंगे।
10. अतिथि विद्वानों के अध्यापन के कालखण्डों का निर्धारण, अनुशासित व्यवहार एवं कक्षा में अध्यापन की दक्षता का प्रमाणन विभागाध्यक्ष/संचालक द्वारा किया जायेगा।



आदेश प्रसारण के सात कार्य दिवस के अन्दर आमंत्रण का स्वीकृति पत्र संबंधित विभाग में देना अनिवार्य है।

आदेशानुसार,



कुलसचिव

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 28/02/2022

क्रमांक / स्था0 / 2022 / 22.16
प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. उपरोक्त चयनित अभ्यर्थियों को
2. समस्त संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष / प्रभारी आचार्य, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
3. वित्त नियंत्रक, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
4. सहायक संचालक, आवासीय संपरीक्षा, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
5. कुलपति जी / कुलसचिव जी के निज सहायक, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
6. प्रभारी, कम्प्यूटर केन्द्र, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
7. संबंधित नस्ती


सहायक कुलसचिव (स्था.)
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर